राजस्थान सरकार
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग,
राजस्थान, जयपुर फोन न. 0141–2229981, E mail ID:cojsy.nhm@gmail.com

क्रमांक: F (14) NHM/RCH/MH/M.RajShree.Yojana/ 56 दिनांक: 01-06-2016

विडियो कॉन्फ्रेसिंग में जारी निर्देश

दिनांक 27.05.2016 को श्रीमान मिशन निदेशक–एनएचएम, महोदय की अध्यक्षता में, दिनाक 01.06.2016 से शुरू की जा रही **मुख्यमंत्री राजश्री योजना** एवं **"प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए)"** के सबंध में सभी संयुक्त निदेशक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी उप निदेशक – आईसीडीएस, जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला नोडल अधिकारी, जिला आशा समन्वयक विडियो कॉन्फ्रेसिंग बैठक आयोजित की गई।

राज्य मुख्यालय से निदेशक–आरसीएच, परियोजना निदेशक मातृ–स्वास्थ्य, डेमोग्राफर–डीईओ सैल एवं राज्य मुख्यालय पर कार्यरत अन्य सलाहकार एवं प्रोग्राम अधिकारी ने विडियो कॉन्फ्रेसिंग में भाग लिया।

विडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से श्रीमान मिशन निदेशक–एनएचएम एवं राज्य मुख्यालय अधिकारियों द्वारा निम्न बिन्दुओं पर चर्चा कर आवश्यक दिशानिर्देश प्रदान किये गये :–

मुख्यमंत्री राजश्री योजना

- श्रीमान मिशन निदेशक महोदय ने अवगत कराया है कि 01.06.2016 से शुरू की जा रही मुख्यमंत्री राजश्री योजना के अन्तर्गत बालिका के सर्वागिण विकास के क्रम में योजना के अन्तर्गत कुल छ किश्तो में कुल पचास हजार रूपये का परिलाभ योजना के प्रावधान अनुसार देय होगा।
- मुख्यमंत्री राजश्री योजना के अन्तर्गत प्रथम दो किश्तों में दिया जाने वाला परिलाभ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिया जावेगा।
- मुख्यमंत्री राजश्री योजना के अर्न्तगत राज्य के सभी राजकीय चिकित्सा संस्थानों एवं जेएसवाई में अधिस्वीकृत निजी चिकित्सा संस्थानों पर बालिका के जीवित जन्म पर प्रथम किश्त के रूप में देय राशि 2500/– रूपये व द्वितीय किश्त के रूप में देय राशि 2500/– रूपये बालिका के एक वर्ष की आयु पूर्ण करने के उपरान्त व पूर्ण टीकाकरण होने की शर्त पर देय होगा। 1 जून 2016 से मुख्यमंत्री राजश्री योजना के अर्न्तगत देय परिलाभ रेखांकित चेक के माध्यम से देय होगा।
- 1 अप्रैल 2013 से संचालित मुख्यमंत्री शुभलक्ष्मी योजना के तहत दिया जाने वाला प्रथम परिलाभ राशि रू. 2100/– 31 मई 2016 रात्री 12:00 बजे तक ही देय होगा। उसके पश्चात जीवित जन्म लेने वाली बालिका को मुख्यमंत्री राजश्री योजना के अन्तर्गत प्रथम किश्त के रूप में राशि 2500/– रूपये दी जावेगी।
- मुख्यमंत्री शुभलक्ष्मी योजना के तहत 31 मई 2016 रात्री 12:00 बजे तक जन्मी बालिकाओ के केसेज में आगामी दिये जाने वाले द्वितीय एवं तृतीय परिलाभ पूर्व में जारी मुख्यमंत्री शुभलक्ष्मी योजना के दिशा–निर्देशानुसार दिया जायेगा।
- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उच्चतर राजकीय चिकित्सा संस्थानों जिन पर ओजस सॉफ्टवेयर के माध्यम से मुख्यमंत्री शुभलक्ष्मी योजना का ऑनलाइन परिलाभ दिया जा रहा है, इन संस्थानो पर भी 31 मई 2016 रात्री 12:00 बजे के पश्चात जन्म लेने वाली बालिकाओं के केसेज में मुख्यमंत्री राजश्री योजना के तहत देय परिलाभ Account Payee चेक के माध्यम से देय होगा। इन संस्थानो पर जननी सुरक्षा योजना के तहत देय परिलाभ ओजस सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही दिया जावेगा।

201·66

- श्रीमान मिशन निदेशक महोदय ने जिला अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिन जिलो में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक 1 जून 2016 से पहले होना प्रस्तावित है इन बैठको में मुख्यमंत्री राजश्री योजना के बारे में आवश्यक रूप से चर्चा कर सभी संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को योजना के दिशानिर्देशों से अवगत करावे। साथ ही सभी जिला अधिकारी अविलम्ब खण्ड स्तरीय अधिकारियों को बैठक एवं वीसी आयोजित कर मुख्यमंत्री राजश्री योजना के बारे में आवश्यक जानकारी उपलब्ध करवाये।

"प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए)"

प्रत्येक गर्भवती महिला को गुणवत्ता युक्त प्रसव पूर्व जॉच सुविधाएं मिल सके इसी उद्देश्य के साथ राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में माह के दौरान एक निश्चित दिन हर माह की 9 तारीख को अभियान के रूप मे एएनसी सेवाए देने हेतु **"प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए)"** भारत सरकार के आदेशानुसार आरम्भ करने का निर्णय लिया है। इस अभियान के तहत राजस्थान के प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा जिला/उपजिला/सैटेलाईट अस्पताल पर ग्रीष्मकाल (1 अप्रैल से 30 सितम्बर) में प्रातः 8 से 2 बजे व शीतकाल (1 अक्टूबर से 31 मार्च) मे प्रातः 9 बजे से दोपहर 3 बजे स्त्री रोग विशेषज्ञ अथवा चिकित्सक द्वारा गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व की सभी जांचे निशुल्क की जायेंगी और सुरक्षित और संस्थागत प्रसव हेतु गर्भवती महिलाओं की विशेष देखभाल और फॉलो–अप किया जायेगा। इस दौरान एएनसी सेवाओं के साथ उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिला की पहचान, फोलोअप, उपचार, रैफरल सुविधा भी प्रदान की जानी है। इसका शुभारम्भ माह 9 जून, 2016 को किया जाना है।

प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के प्रारम्भ होने के उपरान्त राज्य मे पूर्व से आयोजित किए जा रहे सुरक्षित मातृत्व दिवस व प्रसूति नियोजन दिवस निम्नानुसार आयोजित किए जायेगे:–

- प्राथमिक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा जिला/उपजिला/सैटेलाईट अस्पताल पर **"प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान"** आयोजित किया जायेगा।
- वर्तमान मे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर आयोजित **"सुरक्षित मातृत्व दिवस"** को यथावत रखते हुये द्वितीय सप्ताह मे आयोजित होने वाले सुरक्षित मातृत्व दिवस को 9 तारीख को **"प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान"** के रूप मे मनाया जायेगा।
- राज्य मे प्रत्येक माह के **"प्रथम, तृतीय व चतुर्थ शुक्रवार"** को गॉयनाक्लोजिस्ट द्वारा निश्चित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर सुरक्षित मातृत्व दिवस यथावत आयोजित होगे। इन समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रो पर 9 तारीख को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान आयोजित किया जायेगा।
- प्रत्येक माह चौथे गुरूवार को प्रसूति नियोजन दिवस अब केवल उपस्वास्थ्य केन्द्र ही पर यथावत आयोजित किये जायेगा।

निदेशक, आरसीएच
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं
राजस्थान, जयपुर

'प्रतिलिपि आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ :–

1 निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव एवं मिशन निदेशक – एनएचएम, जयपुर।
2 निजी सहायक, निदेशक, आरसीएच।
3 निजी सहायक, उप निदेशक, महिला अधिकारिता विभाग।
4 निदेशक वित, एनएचएम, मुख्यालय, जयपुर/वित्तीय सलाहकार, प.क.।
5 परियोजना निदेशक – मातृ स्वास्थ्य, एनएचएम, राज्य मुख्यालय, जयपुर।
6 स्टेट डेमोग्राफर एवं मुल्यांकन अधिकारी, राज्य मुख्यालय, जयपुर।
7 राज्य समन्वयक – महिला अधिकारिता विभाग।
8 नोडल अधिकारी/सलाहकार जेएसवाई, राज्य मुख्यालय, जयपुर ।
9 कार्यक्रम अधिकारी – आईएमईपी, राज्य मुख्यालय, जयपुर।
10 समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
11 समस्त प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी।
12 समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
13 समस्त उपनिदेशक – आईसीडीएस ।
14 समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक/जिला नोडल अधिकारी/जिला आशा समन्वयक।
15 प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि समस्त जिलों में एवं सम्बन्धितों को ई–मेल द्वारा सूचना भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
16 रक्षित पत्रावली।

01.6.16

निदेशक, आरसीएच